संख्याः31 /2025/219/35-4-2025/35-4099/60/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 27 फरवरी, 2025

विषय: जनपद गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश संख्या-763/2023/2207/35-4-2023/35-4099/60/2023 दिनांक 16 अगस्त, 2023 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित स्वीकृत कुल 03 कार्यों में से प्रश्नगत 01 कार्य **(शासनादेश दिनांक 16 अगस्त, 2024 के क्रमांक-1 पर अंकित कार्य**) हेतु अनुमोदित लागत रू0 628.44 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 314.22 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई।

जिलाधिकारी, गोरखपुर के पत्र सं0-1125/त्व0आ0वि0यो0/2024-25 दिनांक 13 जनवरी, 2025 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत प्रश्नगत 01 कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग विवरण प्रस्तुत करते हुए एवं बचत की धनराशि का उल्लेख करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत एवं बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि **रू0 296.16 लाख (रूपये दो करोड़ छयानबे लाख सोलह हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि रू. लाख में)

कार्य का नाम	**अनुमोदित लागत**	**गठित अनुबंध की लागत**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि (1000 के पूर्णांक में)**
मुहल्ला आजाद चौक से चिलमापुर होते हुए भरवलिया जी0डी0ए0 नाला तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण	628.44	610.38781	314.22	296.16

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16 अगस्त, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि **रू0 296.16 लाख (रूपये दो करोड़ छयानबे लाख सोलह हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-040 लेखाशीर्ष-4215021010302 जल निकासी कार्यक्रम के चालू कार्यों के लिए एक एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य की मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:31/2025/219(1)/35-4-2025/35-4099/60/2023/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर ।
13. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोरखपुर ।
14. संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन ।
15. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in